# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

**पीठासीन अधिकारीः—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.**

मुकदमा नम्बरः—45/2021 (2021/145) वादपत्र

अनवान

1. मोहनलाल पिता कालु गाडरी निवासी खेमाणा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

**बनाम**

1. उदा पिता प्रताप गाडरी निवासी खेमाणा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. केला पिता प्रताप गाडरी निवासी खेमाणा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. किशोर पिता प्रताप गाडरी निवासी खेमाणा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. गोरधन पिता छोगा कुम्हार निवासी खेमाणा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. छीतर पिता छोगा कुम्हार निवासी खेमाणा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. तोलु पिता गंगाराम गाडरी निवासी खेमाणा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. भोपाल पिता भुरा गाडरी निवासी खेमाणा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. मांगु पिता खुमा गाडरी निवासी खेमाणा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. लक्ष्मण पिता छोगा गाडरी निवासी खेमाणा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

10\. हरि पत्नि प्रताप गाडरी निवासी खेमाणा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

10\. शाखा प्रबन्धक बड़ौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मोखुन्दा, तहसील रायपुर

12\. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर एवं लैण्ड होल्डर अधिकारी जिला भीलवाड़ा

**प्रतिवादीगण**

## वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. हेमेन्द्र सुवालका — **अधिवक्ता वादी**

**निर्णय** दिनांक 08.02.2022

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 23.09.2021 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम खेमाणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 के शामलाती कृषि आराजियात खाता संख्या 372 में अकिंत आराजी संख्या 1360 रकबा 1.26 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 1.26 है0 भूमि में वादी का 1/6 हिस्से का मौके पर कब्जे एवं हिस्से को ध्यान में रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 17.0[illegible].2022 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और वादी अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर वादी अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.03.10 11:36:49 IST
Reason: SelfAttested

प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

## आदेश

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम खेमाणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे खााता संख्या 372 में प्रस्तावित आराजी संख्या 1360/2 रकबा 0.21 है0 भूमि मोहनलाल पुत्र कालु गाडरी सा. देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 1360/1 रकबा 1.05 है0 भूमि उदा पिता प्रताप गाडरी 3/80, केला पुत्र प्रताप गाडरी 3/80, किशोर पुत्र प्रताप गाडरी 3/80, गोरधन पुत्र छोगा गाडरी 3/20, छितर पुत्र छोगा गाडरी 1/10, तोलु पुत्र गंगाराम गाडरी 3/20, भोपाल पुत्र भुरा गाडरी 3/20 रहन बड़ौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मोखुन्दा, मांगु पुत्र खुमा गाडरी 1/5, लक्ष्मण पुत्र छोगा गाडरी 1/10, हरि पत्नि प्रताप गाडरी 3/80 सा. देह खातेदार के नाम रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

08.02.2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.03.10 11:36:49 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

## पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–45/2021 (2021/145) वादपत्र

अनवान

1. मोहनलाल पिता कालु गाडरी निवासी खेमाणा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

**बनाम**

1. उदा पिता प्रताप गाडरी निवासी खेमाणा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. केला पिता प्रताप गाडरी निवासी खेमाणा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. किशोर पिता प्रताप गाडरी निवासी खेमाणा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. गोरधन पिता छोगा कुम्हार निवासी खेमाणा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. छीतर पिता छोगा कुम्हार निवासी खेमाणा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. तोलु पिता गंगाराम गाडरी निवासी खेमाणा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. भोपाल पिता भुरा गाडरी निवासी खेमाणा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. मांगु पिता खुमा गाडरी निवासी खेमाणा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. लक्ष्मण पिता छोगा गाडरी निवासी खेमाणा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

10\. हरि पत्नि प्रताप गाडरी निवासी खेमाणा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

10\. शाखा प्रबन्धक बड़ौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मोखुन्दा, तहसील रायपुर

12\. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर एवं लैण्ड होल्डर अधिकारी जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

## वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम खेमाणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे खाता संख्या 372 में प्रस्तावित आराजी संख्या 1360/2 रकबा 0.21 है0 भूमि मोहनलाल पुत्र कालु गाडरी सा. देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 1360/1 रकबा 1.05 है0 भूमि उदा पिता प्रताप गाडरी 3/80, केला पुत्र प्रताप गाडरी 3/80, किशोर पुत्र प्रताप गाडरी 3/80, गोरधन पुत्र छोगा गाडरी 3/20, छितर पुत्र छोगा गाडरी 1/10, तोलु पुत्र गंगाराम गाडरी 3/20, भोपाल पुत्र भुरा गाडरी 3/20 रहन बड़ौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मोखुन्दा, मांगु पुत्र खुमा गाडरी 1/5, लक्ष्मण पुत्र छोगा गाडरी 1/10, हरि पत्नि प्रताप गाडरी 3/80 सा. देह खातेदार के नाम रखते हुए रेकार्ड कायम किया [illegible]

वाद में डिक्री आज [illegible] य मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.03.10 11:36:49 IST
Reason: SelfAttested

08/02/2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर, जिला भीलवाड़ा